न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –31/2021(2021/00043)

अनवान : –

1. दयानन्द पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
2. वेदप्रकाश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. बलबीर पुत्र भादर जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
3. आरएमजीबी शाखा शाखा प्रबन्धक जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानुप्रताप बैनीवाल **वादीगण**
श्री राजेन्द्र जाखल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 02/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 47/45 के मुरब्बा न0 26 के किला न0 11, 20, 21 मु0 न0 42 के किला न0 1, 10, 11 इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर के नाम 9/16 हिस्सा, इसी प्रकार 48/46 के मु0 न0 26 के किला न0 22, मु0 न0 42 के किला न0 2, 9, 12 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी में प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर के नाम 0.569 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 75/68 के मु0 न0 6 के किला न0 14 ता 25, मु0 न0 9 के किला न0 1 ता 10, 14, 15 कुल किता 24 की कुल 6.072 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर के नाम 9/16 हिस्सा ... भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:29 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु ... अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा भादर की खातेदारी हुआ करती थी। भादर से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी बलबीर ने कर्ता खांनदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बलबीर ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बलबीर के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बलबीर को वादी के दादा भादर से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी सम्वत 2060–63 के खाता संख्या 38/36, जमाबन्दी चक 6 एमएसआर सम्वत 2060–63 के खाता संख्या 50/79 एवं जमाबन्दी चक 8 एमएसआर सम्वत 2063 जमाबन्दी चक 8 एमएसआर के सम्वत 2060–63 के खाता संख्या 53/62 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 वादीगण की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी दयानन्द पुत्र बलबीर जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 6 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 47/45 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 8 एमएसआर सम्वत 2076–79 खाता संख्या 75/68 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 6 एमएसआर जमाबन्दी सम्वत 2060–63 खाता संख्या 38/36 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 6 एमएसआर सम्वत 2060–63 प्रदर्श 4, जमाबन्दी चक 8 एमएसआर सम्वत 2060–63 खाता संख्या 53/62 प्रदर्श 5, सरपंच ग्राम पंचायत सरदारगढ़िया द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 47/45 के मुरब्बा न0 26 के किला न0 11, 20, 21 मु0 न0 42 के किला न0 1, 10, 11 इस प्रकार कु[illegible] की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] प्रकार 48/46 के मु0 न0 26 के किला न0 22, मु0 [illegible], 12 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी में प्रतिवादी संख्या 1 ब[illegible] के नाम 0.569 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 75/68 के मु0 न0 6 के किला न0 14 ता 25, मु0 न0 9 के किला न0 1 ता 10, 14, 15 कुल किता 24 की कुल 6.072 हैक्टेयर नहरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर के नाम 9/16 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 47/45 के मुरब्बा न0 26 के किला न0 11, 20, 21 मु0 न0 42 के किला न0 1, 10, 11 इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर के नाम 9/16 हिस्सा, इसी प्रकार खाता संख्या 48/46 के मु0 न0 26 के किला न0 22, मु0 न0 42 के किला न0 2, 9, 12 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी में प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर के नाम 0.569 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 75/68 के मु0 न0 6 के किला न0 14 ता 25, मु0 न0 9 के किला न0 1 ता 10, 14, 15 कुल किता 24 की कुल 6.072 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर के नाम 9/16 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 दयानन्द, वादी संख्या 2 वेदप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 बलबीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:29 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़